INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK78881282515786U
Certificate Issued Date	:	11-Apr-2022 03:46 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1240504/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK124050462516198651868U
Purchased by	:	THACKCHOE TSERING SON OF LOBSANG DORJEE
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	THACKCHOE TSERING SON OF LOBSANG DORJEE
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	THACKCHOE TSERING SON OF LOBSANG DORJEE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY
Dhanendra Singh Pundeer
Advocate
Mussoorie, Distt. Dehradun
(Uttarakhand)
Regd. No. 19736/2020
Exp. Date 07.08.2025
NOTARIAL NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

अमित कुमार (स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स नं0–173
कोर्ट कम्पाउण्ड, मसूरी

Please write or type below this line

प्रधानाचार्य/Principal
केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय
Central School for Tibetans
हैप्पी वैली मसूरी
Happy Valley Mussoorie
जिला-देहरादून-248179
Distt.Dehradun-248179
(उत्तराखण्ड/Uttarakhand)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्षः खण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक–सहसपुर, जिला–देहरादून।

शपथपत्र ओर से थाक्चों सीरिगं (Thackchoe Tsering) पुत्र श्री लोबसांग डोरजी (Lobsang Dorjee), प्रधानाचार्य– संभोता तिब्बतन स्कूल सोसायटी (Sambhota Tibetan School Society), मसूरी, जिला–देहरादून।

————शपथकर्ता

NOTARY
Dhanendra Singh Pundeer
Advocate
Mussoorie, Distt. Dehradun
(Uttarakhand)
Reg.No. 17996/2020
Exp.Date 07-03-2025
GOVT. OF INDIA

मैं शपथकर्ता सशपथ निम्न लिखित कथन करता हूँ–

1– मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगा।

2– विद्यालय निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3– विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चो के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चो का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एंव वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हे निःशुल्क एंव अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पुर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

4– उपरोक्त कम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।

5– संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कंपिटेशन शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नही किया जायेगा।

6– विद्यालय किसी बच्चे के नामाकन से उसको आय प्रमाण पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणो से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नही करेगा।

7– विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

प्रधानाचार्य/Principal
केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय
Central School for Tibetans
हैप्पी वैली मसूरी
Happy Valley Mussoorie
जिला-देहरादून-248179
Distt.Dehradun-248179
(उत्तराखण्ड/Uttarakhand)

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा,

(तीन) किसी भी बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी,

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चो का समावेशन किया जाएगा,

(छः) शिक्षको की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करतें है, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे,

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षको के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और

(आठ) शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होगें।

8– विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एंव पाठ्यकम का अनुसरण करेगा।

9– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रो का नांमाकन करेगा।

10– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानको एंव मानदंडो को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओ का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र,
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या,
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष,
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा,
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर,
- बाधारहित पहुँच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11– इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा।

विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नही होगा।

12– विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियाँ हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु किया जायेगा।

प्रधानाचार्य/Principal
केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय
Central School for Tibetans
हैप्पी वैली मसूरी
Happy Valley Mussoorie
जिला-देहरादून-248179
Distt. Dehradun-248179
(उत्तराखण्ड/Uttarakhand)

NOTARY GOVT. OF INDIA
Dhanendra Singh Pundir
Advocate
Mussoorie Distt. Dehradun
(Uttarakhand)
Regd. No. 19/06/2020
Exp. Date 07-03-2025

13– विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14– विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15– लेखा का अंकेक्षा एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या............................है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एंव उद्धृत किया जाए।

17– राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एंव सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18– यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19– **परिशिष्ट–चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

20– यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य/Principal
केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय
Central School for Tibetans

————————शपथकर्ता

सत्यापनः

मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक 11–04–2022 को स्थान मसूरी, जिला–देहरादून में हस्ताक्षर कर सत्यापित व पुष्टि करता हूं कि इस शपथपत्र की चरण सं0 1 से 20 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में पूरी तरह सही एवं सत्य है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

प्रधानाचार्य/Principal
केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय
Central School for Tibetans

————————शपथकर्ता

This affidavit is sworn, signed & verified
by Mr./Mrs. Thachchhoe Tsering
who is identified by Mr......................
at Place Mussoorie on 11-4-2022

Dhanendra Singh Pundeer
Advocate & Notary Public
Regn.No.19796/2020
Mussoorie
Distt.Dehradun (Uttarakhand)
Govt.of India

NOTARY
Dhanendra Singh Pundeer
Advocate
Mussoorie, Distt. Dehradun
(Uttarakhand)
Reg.No.19796/2020
Exp.Date 07-03-2025
GOVT. OF INDIA